न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 6/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01.ओमाराम पुत्र जेठाराम जाति पटेल निवासी झवंर तहसील झवर जिला जोधपुर।		01.जेठाराम पुत्र प्रभुराम जाति पटेल निवासी झंवर 02.राणाराम पुत्र जेठाराम के कायम मुकाम 2/1.रमेश पुत्र राणाराम 2/2.हंसराज पुत्र राणाराम 2/3.शाति पत्नी राणाराम जाति पटेल निवासी झवंर 03.कुम्पाराम पुत्र जेठाराम के कायम मुकाम 3/1.अजय पटेल पुत्र कुम्पाराम जाति पटेल निवासी झवर जोधपुर 04.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित अधिवक्ता।

01.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दुदाराम चौधरी अनुपस्थित ।
02.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता हनुमान प्रजापत उपस्थित।

निर्णय दिनांक 21/10/2024

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा नम्बर 1855 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम खसरा नम्बर 1911 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम खसरा नम्बर 209 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 278 रकबा 44 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय गाव झंवर तहसील झवर जिला जोधपुर मे स्थित है उक्त मुतनाजा आराजी की खातेदारी प्रार्थी के पिता जैठाराम के नाम से है तथा उक्त कृषि भूमि वक्त सेटलमेन्ट पिता के नाम से थी यानि हमारे दादा के नाम थी जिसके वारिसान जैठाराम है तथा जेठाराम यानि अप्रार्थीगण संख्या एक का मै प्रार्थी जायंदा पुत्र हूँ। प्रार्थी अप्रार्थीगण सख्या एक के जायदा सन्तान है इस कारण उक्त मुतनाजा आराजी कृषि भूमि मे प्रार्थी का अप्रार्थीगण सख्या एक की कृषि भूमि मे खातेदारी हिस्सा आता है अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन का बराबर बराबर हिस्सा होने के कारण प्रार्थीगण का नाम भी बंटवाडा के आधार पर खातेदारी मे दर्ज करवाना चाहते है प्रार्थी का उक्त मुतनाजा आराजी कृषि भूमि मे मौके पर अपने अपने हिस्से की जमीन पर स्वंय का कब्जा व काश्त है जो मोखिक बंटवाडा के अनुसार उस पर काबिज है जिस पर अप्रार्थीगण न तो स्वंय न ही अन्य किसी व्यक्ति से कब्जा व काश्त मे दखल करें प्रार्थी अप्रार्थीगण के जायन्दा संतान होने के कारण उक्त मुतनाजा आराजी पर सहखातेदार है इस कारण प्रथम दृष्टिया मामला व सुंविधा का सन्तुलन व इरिपेबल लोस तीनो सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष मे है इस कारण प्रार्थी के पक्ष मे उनके हिस्से की कृषि भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें एव किसी भी प्रकार प्रार्थी के पक्ष मे बहुत ही स्पष्ट एव प्राथमिक मामला बनता है इसलिए प्रार्थी द्वारा खेत खसरा नम्बर 1855 रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम खसरा नम्बर 1911 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम खसरा नम्बर 209 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 278 रकबा 44 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय मे मूल वाद तक के अन्तिम निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड एव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 से 3 की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया जबकि अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव मे प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण तथ्यो का खण्डन किया गया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव का खण्डन करते हुए बहस मे कथन किया गया कि ग्राम झवंर के खेत खसरा नम्बर 1855 रकबा 08 बीधा 08 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम खसरा नम्बर 1911 रकबा 12 बीधा 08 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम खसरा नम्बर 209 रकबा 14 बीधा 04 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 278 रकबा 44 बीधा 17 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय मे वर्णित भूमि प्राथी के दादा की खातेदारी की कृषि भूमि नही थी और न ही प्रार्थी ने वादपत्र के साथ ऐसा कोई सबूत पेश किया हो जिससे भूमि प्रार्थी के दादा की खातेदारी की हो इन परिस्थितियो मे प्रार्थी का वाद काबिल निरस्ती के है। प्रार्थी का कथन सही है कि उक्त भूमि प्रार्थी के पिता जेठाराम के खातेदारी की थी एव जेठाराम जी काबिज है तथा जेठाराम ने अपने जीवनकाल मे उक्त वर्णित भूमि मे से खसरा नम्बर 278 की भूमि मे अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा जरिये बख्सीसनामा प्रतिवादी संख्या 3 अजय को हस्तान्तरित कर दिया तथा अजय ने उक्त भूमि प्रतिवादी रमेश को तर्क कर दी इस कारण जेठाराम का इस खसरे मे सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थीगण रमेश की खातेदारी एव काब्ज काश्त मे है तथा उक्त खसरे बाबत रमेश को खातेदारी एव कब्जा काश्त मे है उक्त खसरे बाबत रमेश को खातेदारी अधिकार जरिये गिफ्ट एव हकतर्कनामा के पजीबद्व दस्तावेज निरस्त करवाये खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। प्रार्थी ने वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पेश किया है उक्त धारा मे वाद केवल खातेदार ही ला सकता है तथा प्रार्थी उक्त वाद के वर्णित भूमि का खातेदार नही है इस कारण कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह जाहिर है कि उक्त वाद मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच खातेदारी की घोषणा एव मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा नही हुआ है इस कारण प्रत्येक इंच इचं भूमि पर सभी सहखातेदारो का हक व हिस्सा बनता हैं। ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्ट्रया मामला एव सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे बनना पाया जाता है तथा यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल संभावना है ऐसी स्थिति मे न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 01.07.2024 को प्रार्थी के हक मे अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी थी जो सही है जिसको मूल वाद के अंतिम निरस्तारण तक जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम झवंर के खेत खसरा नम्बर 1855 रकबा 08 बीधा 08 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम खसरा नम्बर 1911 रकबा 12 बीधा 08 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम खसरा नम्बर 209 रकबा 14 बीधा 04 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 278 रकबा 44 बीधा 17 बिस्वा तक के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे तथा किसी विशेष भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण नही करे एव न ही उक्त चारो खसरान की कृषि भूमियो को खुर्द –बूर्द इत्यादि नही करे आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कासोटिया आर,ए,एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी